

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935
No. 611]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

सं. 51/2013-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 787(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 185 (अ) दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 252 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (ii) के सामने, स्तम्भ (4) में प्रविष्टि “20% या 30 रु. प्रति क्तिग्रा., जो भी कम हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 354/111/2011-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 185 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 43/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 630 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2013

No. 51/2013-Customs

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 185(E) dated the 17th March, 2012, namely: —

In the said notification, in the Table, against serial number 252, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “20% or Rs. 30/- per kg, whichever is lower” shall be substituted.

[F. No. 354/111/2011-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E) dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 43/2013-Customs, dated the 13th September, 2013 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 630(E) dated the 13th September, 2013.